फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के पैरो कार सुना उह. वकील प्रार्थी का मूल वाद खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना का T9 के अंतर्गत चलाया जाना उचित नहीं समझते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से खारिज होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 9.4.18 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Bmd 9.4.18	